न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/46

1. माफी मंदिर ठाकुर जी श्री सीताराम जी, विराजमान ग्राम बेरखेड़ा, जरिये महन्त एंव पुजारी कैलाश चंद शर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल शर्मा, चेला स्व. श्री रघुनाथदास, जाति ब्राह्मण, निवासी मंदिर श्री सीताराम जी, ग्राम बेरखेड़ा, तहसील महवा, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कैलाशचन्द मीना पुत्र श्री रेवडमल आयु 50 वर्ष जाति मीना
2. श्री भीखाराम पुत्र श्री मूलचन्द आयु 56 वर्ष जाति मीना
3. श्री किशन पुत्र श्री कंचन आयु 50 वर्ष जाति मीना
4. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री मूल्याराम आयु 74 वर्ष जाति मीना
5. श्री नहन्या पुत्र श्री किशनलाल आयु 600र्ष जाति मीना
6. श्री भगवतसिंह पुत्र श्री नानगराम आयु 48 वर्ष जाति गुर्जर
7. श्री प्रकाश पुत्र श्री बीरबल आयु 48 वर्ष जाति गुर्जर
8. श्री आरामी पुत्र श्री गिर्राज आयु 55 वर्ष जाति गुर्जर
9. श्री हीरालाल पुत्र श्री मूलचन्द आयु 55 वर्ष जाति बैरवा
10. श्री बाबूलाल पुत्र श्री खैरातीलाल आयु 50 वर्ष जाति बैरवा
11. श्री हनुमत पुत्र श्री किशोर आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर
12. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री बाबूलाल आयु 40 वर्ष जाति जोगी
13. श्री सेडयाराम पुत्र श्री गंगाधर आयु 62 वर्ष जाति कोली
14. श्री गोविन्दराम पुत्र श्री कन्हैया आयु 58 वर्ष जाति कोली
15. श्री रामजीलाल पुत्र श्री टोडया राम आयु 70 वर्ष जाति बैरवा
16. श्री काडूराम पुत्र श्री उम्मेदीलाल आयु 48 वन जाति माली
17. श्री भगवानसहाय पुत्र श्री दीपाराम आयु 48 वर्ष जाति प्रजापत
18. श्री जगदीश पुत्र श्री गंगासहाय आयु 45 वत्र जाति प्रजापत
19. श्री अर्जुन पुत्र श्री सूखाराम आयु 48 वर्ष जाति प्रजापत
20. श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री चन्नालाल आयु 60 वर्ष जाति मीना
21. श्री खिलाड़ी पुत्र श्री नथया राम सैनी आयु 60 वर्ष जाति माली

    समस्त निवासी बेरखेड़ा तहसील महवा जिला दौसा
22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महवा, तहसील महवा, जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज. भू–राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा श्री देवेन्द्र कुमार आई.ए.एस. दिनांक 08.05.2024 जिसके द्वारा अपील संख्या 9/2020 उनवानी माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम सरकार व अन्य स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 278 दिनांक 19.09.2007 को निरस्त फरमा दिया है।

उपस्थित :–

1. श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री आलोक चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 21 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 22 की ओर से।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक 22.08.2025

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 22 ने न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार महवा द्वारा

नामांतकरण संख्या 278 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा का विरासत के आधार पर भरकर दिनांक 19.09.2007 को तस्दीक किया की पेश की गयी। जिससे असंतुष्ट होकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 21 ने अपील प्रस्तुत कर विवादित आदेश दिनांक 19.09.2007 बाबत नामान्तरकरण संख्या 278 ग्राम बरेखेडा तहसील महवा को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी मंदिर सीताराम वाके ग्राम बेरखेडा तहसील महवा के नाम दर्ज करने निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने हाल रेंस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 21 की अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 278 दिनांक 19.09.2007 निरस्त किया गया जिसमें तहसीलदार महवा द्वारा मृतक रघुनाथ चेला सेवादास महन्त के स्थान पर कैलाशचन्द चेला रघुनाथदास महन्त दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज किये जाने हेतु एवं पुजारी सेवादास महन्त का नाम विलोपित किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 08.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स माफी मंदिर ठाकुर जी श्री सीताराम जी, विराजमान ग्राम बेरखेडा, जरिये महन्त एवं पुजारी कैलाश चंद शर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल शर्मा, चेला स्व. श्री रघुनाथदास, जाति ब्राहमण निवासी मंदिर श्री सीताराम जी, ग्राम बेरखेडा, तहसील महवा जिला दौसा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 08.05.2024 को निरस्त करने फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए सरासर मनमाना आदेश पारित कर जागीर के जमाने से चले आ रहे राजस्व इन्द्राजतात को निरस्त करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार महवा को रेफरेन्स प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा नामांतकरण संख्या 278 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो सरासर अवैध एवं मनमाना निर्णय होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट 1 लगायत 21 ने जो अपील प्रस्तुत की उसमें अपीलार्थी संख्या 1 के रूप में ठाकुर जी श्री सीताराम जी का नाम अंकित कर स्वयं को भक्तगण होना जाहिर करते हुए तहसीलदार महवा एवं अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की जबकि रेस्पोडेंटस को इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है, अन्रूथा भी उक्त अपील में ऐसा कोई कारण अथवा आक्षेप अंकित नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से शाश्वत नाबालिग ठाकुर जी श्री सीताराम जी के साथ जागीर के जमाने से जुडे हुए नाम को विलोपित किया जा सकता हो, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए बिना किसी आधार व कारण के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या । लगायत 21 बहैसियत भक्तगत द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में स्वयं रेस्पोडेंट ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी मंदिर श्री सीताराम जी की पूजा अर्चना एवं उनके खुदकाश्त में अंकित भूमि को स्वयं काश्त करता एंव करवाता हैं और अपीलार्थी की पूजा अर्चना एवं सम्पतियों की देखरेख से समस्त ग्रामवासी पूर्णतया संतुष्ट हैं। रेस्पोडेंट द्वारा की गई उक्त स्वीकारोक्तियों के बावजूद उनके द्वारा आक्षेपित कारण को साक्ष्य सहित निर्मूल सिद्ध करने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 21 ने ठाकुर जी श्री सीताराम जी की सम्पति को अपीलार्थी द्वारा स्वयं के नाम अंकित करवाने के संबंध में जो आक्षेप लगाये हैं वे समस्त आक्षेप राजस्व भू–अभिलेख वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के पठन मात्र से ही सरासर असत्य सिद्ध हो रहा है क्योंकि वर्तमान जमाबंदी में भी उपरोक्त वर्णित संपूर्ण भूमि की खातेदारी "देवताओं से संबंधित जोत" के रूप में अंकित है स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत की गई उक्त जमाबंदी के अंकनो को निर्णय में अंकित करने के बावजूद भी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सरासर मनमाना आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 21 द्वारा अपील के पैरा संख्या 3 में अंकित आक्षेप कतई असत्य एवं आधारहीन है। ठाकुर जी श्री सीताराम जी की भूमि आज भी ठाकुर जी के नाम ही है। यद्यपि बनाम रघुनाथदास पूर्व में जमाबंदी में अंकित था और आज भी अपीलार्थी का नाम बनाम ही अंकित है। सम्वत 2008 से लेकर सम्वत 2076 तक की जमाबंदी पत्रावली पर उपलब्ध होने में उपरांत भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के इस आक्षेप को अंतिम सत्य मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 21 ने केवल मात्र अपीलार्थी से बदला लेने तथा अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के परिवार के लोगों को ठाकुर जी सीताराम जी की भूमि से बेदखल कर पुनः ठाकुर जी के हित में कब्जा प्राप्त कर लेने के कारण अपना दबाव व प्रभाव पुनः कायम करने की वजह से एक नाजायज संगठन बनाकर राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित अपीलार्थी के नाम को विलोपित करवाने, तथा शाश्वत नाबालिग ठाकुर जी की सम्पतियों को हड़प करने के कुत्सित उद्देश्य से वर्ष 2007 में स्वीकृत करावाये गए नामातंकरण संख्या 278 के विरुद्ध वर्ष 2020 में लगभग 14 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की जिसके साथ प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 5 के संबंध में प्रस्तुत किसी भी न्यायिक दृष्टांत एवं तर्क का कोई उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया और सरसरी तौर पर एक लाइन में "अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मयाद पेश की गई है। डिले कंडोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानूनी मयाद स्वीकार किया जाता है" और 14 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई अपील को मनमाने एवं आधारहीन तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत कंडोन किया जाकर अपील को अंदर मयाद शुमार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का गम्भीर दुरूपयोग किया है परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिंनाक 08.05.2024 निरस्त किए जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या 8 में यह आक्षेप अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में उपरोक्त वर्णित भूमियों में से 2 बीघा भूमि का विक्रय रामलाल मीणा को कर दिया था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में असत्य एवं आधारहीन आक्षेपो को सत्य मानते हुए अपीलार्थी को ठाकुर जी श्री सीताराम जी की भूमि को खुर्द–बुर्द करने का अपराधी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि जिस रामलाल नाम के व्यक्ति के पुत्रों ने ठाकुर जी की भूमि के 2 बीघा भू–भाग पर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास किया था, उनके विरुद्ध स्वयं अपीलार्थी ने बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर दिनांक 28.01.2019 को उनके विरुद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त की तथा दिनांक 02.07.2020 को डिक्री की पालना में अतिक्रमियों को बेदखल करवाकर ठाकुर जी के हित में कब्जा प्राप्त किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को तथा संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य से सन्देह से बाहर सिद्ध करने के उपरान्त भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के पैरा संख्या 7.1 में सम्वत् 2018 के हुए एकीकरण के पश्चात बनायी गई खतौनी एकीकरण में भूमि साबिका खसरा नम्बर 124 एवं 125 को माफी मंदिर श्री सीतराम बनाम रघुनाथदास चेला सेवादास होना तथा एकीकरण से पूर्व भी सं0 2013 में उक्त भूमि को माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रघुनाथ दास के नाम अंकित होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है अर्थात बजमाने जागीर अपीलार्थी के पूर्वज श्री रघुनाथ दास का नाम बाकायदा ठाकुर जी श्री सीताराम जी के साथ अंकित है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के पूर्वज श्री रघुनाथ दास जी का नाम उक्त अभिलेखों में बहैसियत पुजारी अथवा सेवायतन अंकित नहीं है अपितु ठाकुर जी श्री सीताराम जी के साथ बनाम अंकित है। उल्लेखनीय है कि एकीकरण विभाग द्वारा बनाए गए राजस्व भू–अभिलेखों को किसी भी अवस्था में किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित अथवा संशोधित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरुपयोग करते हुए नामांतकरण संख्या 278 को निरस्त करने का तथा तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

महवा को प्रश्नगत भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत करने का अवैध निर्देश प्रदान किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयने अपीलाधीन निर्णय के पैरा संख्या 7.3 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि वर्तमान जमाबंदी में भी देवताओं से संबंधित जोत के रूप में अंकित है ना कि अकेले अपीलार्थी के नाम, किंतु फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के राजनीतिक प्रभाव, अवैध संगठन एवं दबाव में आकर सरासर विधिविरुद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। कंसोलिडेशन व प्रिवेंशन ऑफ प्रेगमेंटेशन एक्ट, 1954 की धारा 35 के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार एकीकरण विभाग द्वारा तैयार किए गए राजस्व भू–अभिलेखों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की जा सकती और ना ही किसी न्यायालय द्वारा एकीकरण की प्रविष्ठियों को संशोधित अथवा निरस्त करने का कोई अधिकार है। विधि के इस महत्वपूर्ण एवं बाध्यकारी प्रावधान के विरुद्ध पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलार्थी अथवा उसके हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री रघुनाथ दास द्वारा ठाकुर जी श्री सीताराम जी की माफी में अंकित भूमियों की सदैव सुरक्षा एवं काश्त की व्यवस्था की जाती रही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने बाकी रेस्पोडेंट को विवाद की सम्यक रूप से कोई जानकारी प्रदान किए बिना ही उन्हें पक्षकार बनाते हुए ठाकुर जी श्री सीताराम जी के नाम का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत की गई अपील में दस्तावेजी साक्ष्य एवं तथ्यों से रेस्पोडेंट के षड्यंत्र को स्पष्ट सिद्ध करने के उपरांत भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के अभिवचनों, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्वयं अपने द्वारा निर्णय के पैरा संख्या 7.1 से 7.3 में अंकित निष्कर्ष के विरुद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 21 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 22 ने न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार महवा द्वारा नामांतकरण संख्या 278 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा का विरासत के आधार पर भरकर दिनांक 19.09.2007 को तस्दीक कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित आदेश दिनांक 19.09.2007 बाबत नामान्तरकरण संख्या 278 ग्राम बरेखेडा तहसील महवा को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी मंदिर सीताराम वाके ग्राम बेरखेडा तहसील महवा के नाम दर्ज किया जावें। आराजी खसरा नंबर 497 से 509 कुल किता 13 रकबा 5.12 है. स्थित ग्राम बेरखेडा तहसील महवा में स्थित है जिसका गत खसरा नंबर 124 व 125 है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2013 व 2018 में माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रूगनाथदास चेला सेवादास महन्त स्वामी के नाम दर्ज रही है। उक्त भूमि एवं मूर्ति नागाओं की भूमि एवं मूर्ति अर्थात अविवाहित ही रही है। उक्त भूमि की जो भी सेवा करता है वह अविवाहित व्यक्ति ही होता है। उक्त आराजी संवत 2013 व 2018 में माफी मंदिर श्री सीतारामजी बनाम रूगनाथदास के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, लेकिन रूगनाथदास चेला सेवादास महन्त की मृत्यु होने पर उसकी गद्दी पर अपीलान्ट कैलाशचन्द आसीन हो गया तथा अपील में वर्णित भूमि को बोने जोतने तथा मंदिर सीतारामजी की पूजा अर्चना करने लग गया, जिस पर सभी ग्रामवासियों ने सहमति दे दी। माफी मंदिर श्री सीताराम की संपूर्ण ग्रामवासी बेरखेडा पूजा अर्चना करते है तथा कभी भी किसा प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए चेला कैलाशदास पर भी संपूर्ण भक्तगण भरपूर भरोसा करते चले आ रहे है और वह मंदिर सीताराम की पूजा अर्चना करता आ रहा है, लेकिन उसने छल एवं बेईमानी से संपूर्ण ग्रामवासियों से धोखाधडी कर मंदिर माफी सीताराम की भूमि को स्वयं ही खातेदारी में दर्ज करवा लिया। रेस्पों० सं० 2 कैलाशचन्द ने तहसीलदार महवा से साज करके विरासत का नामान्तरण सं० 278 दिनांक 19.9.2007 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा तस्दीक करवा लिया एवं जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी जो कि निरस्त योग्य है। राजस्थान सरकार के आदेश कमांकःप.3 (2) राज–6/7/19 दिनांक 25.11.2011 को एक आदेश जारी कर समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों को यह आदेश जारी किया गया है कि अवैधानिक रूप से मंदिर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

माफी की भूमि पर विधिक टीनेन्ट का नाम विलोपन के संबंध में कार्यवाही करने के संबंध में तथा इससे पूर्व भी गई बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णय पारित कर निर्देशित किया गया है कि मंदिर माफी एवं नदी नाले चरागाह भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति के नाम दर्ज है तो उसे पुनः मंदिर माफी, नदी नाले या चरागाह दर्ज किया जावे लेकिन रेस्पों० सं० 1 ने माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के नियमों की खुल्लम खुल्ला अवहेलना कर रेस्पॉ० स०2 के नाम माफी मंदिर की भूमि का नामान्तरण तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि हमेशा से ही माफी मंदिर श्री सीताराम की भूमि रही है तथा उसके भक्तगण एवं सेवादार चेला द्वारा कभी भी अपने नाम नामान्तरण नहीं खुलवाया है। सेवादार चेला की मृत्यु के बाद दूसरा चेला सेवादार मंदिर सीताराम की सेवा पूजा करता रहा तथा उसकी भूमि को जोतते रहे है लेकिन रेस्पों. सं० 2 छल व बेइमानी से उक्त भूमि का नामान्तरण सरपंच, ग्राम पंचायत टुडियाना द्वारा नहीं खुलवाकर रेस्पों० सं० 1 से साज कर अपने नाम खुलवा लिया जो अवैधानिक व नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य, कानून, मौका साक्ष्य, प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए विवादित आदेश पारित किया गया है जो काबिले खारिज योग्य है। इस प्रकार विवादित नामान्तरण बने रहने से एवं उसके आधार पर वर्तमान जमाबंदी में उक्त इन्द्राज के बने रहने से अपीलांटस के अधिकारों का हनन हो रहा है। रेस्पों० सं० 2 के द्वारा माफी मंदिर की आराजीयात में से पूर्व में 2 बीघा भूमि का रामलाल को विक्रय कर दिया गया था, तथा उसके बाद भी रेस्पों० सं० 2 ने दिनांक 8.8.2020 को अपीलाण्टस को धमकी दी कि मंदिर की जमीन में से और भूमि का विक्रय करेगा। अपीलांटस ने तहसीलदार महवा से खातेदारी में से रेस्पों० सं० 2 का नाम हटाने को कहने पर साफ इन्कार कर दिया तथा नामान्तरण अपील प्रस्तुत करने हेतु कहने पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 19.9.2007 बाबत नामान्तरण सं० 278 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी माफी मंदिर सीताराम वाके ग्राम बेरखेडा तहसील महवा के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने नामान्तरण संख्या 278 दिनांक 19.09.2007 निरस्त किया गया जिसमें तहसीलदार महवा द्वारा मृतक रघुनाथ चेला सेवादास महन्त के स्थान पर कैलाशचन्द चेला रघुनाथदास महन्त दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज किये जाने हेतु एवं पुजारी सेवादास महन्त का नाम विलोपित किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 पारित किये गये हैं। न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद तहसीलदार, महवा द्वारा दिनांक 19.09.2007 को नामान्तकरण संख्या 278 विरासत के आधार पर भरकर तस्दीक करने को लेकर है। आराजी खसरा नम्बर 497 से 509 कुल किता 13 रकबा 5.12 है स्थित ग्राम बेरखेडा तहसील महवा में स्थित है जिसका गत खसरा नम्बर 124 व 125 है।

अतिरियत संभागीय आयुक्त
जयपुर

9. पत्रावली में संलग्न भूमि एकीकरण खतौनी (जमाबंदी) संवत 2018 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा के अवलोकन से निम्न स्थिति ज्ञात होती है :–

क्र.सं.	नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान	नम कृषक पिता का नाम जाति निवास स्थान श्रेणी कृषक	खसरा नंबर	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा में	भूमि की किस्म
114	माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रूगनाथ दास चेला सेवादा महन्त स्वामी सा.दे.	खुदकाश्त	124 125	08 बिस्वा 19 बीघा 17 बिस्वा	गै.मु.चाही सोयम
		योग खाता	2	20 बीघा 5 बिस्वा	

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2013 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	भूमि अधिकारी जागीरदार उप जागीरदास और मालगुजार बिस्वेदार व जमींदार निवास सहित	नम कृषक पिता का नाम जाति निवास स्थान श्रेणी कृषक	खसरा नंबर	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा में	भूमि की किस्म
114	माफी मंदिर श्री सीताराम बनाम रूगनाथ दास चेला सेवादा महन्त स्वामी सा.दे.		348 349 364 365 366 367 368 369 370 371	1.02 1.10 2.07 2.02 2.02 0.08 6.07 2.04 1.02 1.01	चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3 चाही 3

पत्रावली में शामिल नकल भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल ग्राम बेरखेडा संवत 2018 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 124 व 125 के गत खसरा नंबर 367, 348 से 349, 364 से 366, 368 से 371 से बने है। साथ ही भू प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल ग्राम बेरखेडा संवत 2050 से 2069 के अवलोकन से भूमि जिसके गत खसरा नंबर 124 व 125 थे के हाल खसरा नम्बर 497 से 509 बने है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2070 से 2073 से भी खसरा नंबर 497 से 509 किता 13 कुल रकबा 5.12 है0 वाके ग्राम बेरखेडा "देवताओं से संबंधित जो.....कैलाशचन्द चेला रघुनाथदास हिस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार अ.वि.वि. देवताओं से संबंधित जोत" दर्ज रिकार्ड है।

राजस्थान सरकार के आदेश कमांकः प.3 (2) राज–6/7/19 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा एक आदेश समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों को जारी किया जाकर यह आदेश दिये गये कि अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर विधिक टीनेन्ट का नाम विलोपन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2013 एवं भूमि एकीकरण खतौनी संवत 2018 के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि संवत माफी मंदिर श्री सीतारामजी बनाम रूगनाथदास चेला सेवादास महन्त स्वामी सा०देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है जिसमें पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में नहीं लिखा जाना चाहिए था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरण सं० 278 दिनांक 19.9.2007 निरस्त किया गया है जिसमें तहसीलदार महवा द्वारा मृतक रघुनाथदास चेला सेवादास महन्त के स्थान पर कैलाशचन्द चेला रघुनाथदास महन्त दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे। तहसीलदार (भूमिधारी) महवा को निर्देश दिये गये है कि प्रश्नगत भूमि को पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज किये जाने हेतु एवं पुजारी सेवादास महन्त का नाम विलोपित किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर